संख्या- 24 /2020/ 790/ सत्रह- म-2020-6-9(127)/17

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ :दिनांक: 20 जुलाई,2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना के सापेक्ष रू0 45.93 लाख (रू0 पैंतालीस लाख तिरानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-765/नि0शा0, दिनांक 26 जून,2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित बजट धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 45.93 लाख (रू0 पैंतालीस लाख तिरानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26 जून,2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन,04-मत्स्य विकास कार्यक्रम,0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण, 02- मजदूरी, 09 -विद्युत देय, 39- औषधि तथा रसायन, 42-अन्य व्यय, 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति के अन्तर्गत धनराशि रू0 45.93 लाख (रू0 पैंतालीस लाख तिरानबे हजार मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिकानुसार कुल 43 जनपदों (स्पान से फ्राई मत्स्य उत्पादन हेतु 36 जनपद तथा फ्राई से फिंगरलिंग मत्स्य उत्पादन हेतु 07 जनपद) हेतु निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर / बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/ कार्यक्रम में पूर्व में इस मद में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि प्राप्त नही हुई है ।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(7) विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई- टेण्डर/ जेम पोर्टल विषयक दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी। सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार निर्माण,अवस्थापना,क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा सक्षम तकीनीकी अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020, पत्र संख्या-4/ 2020/ बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक11.04.2020,पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/ 2020, दिनांक 18.05.2020 एवं पत्र संख्या- बी-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 में दिये दिशा-निर्देशों /प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3 - उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय- व्ययक अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम- 0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण-02-मजदूरी, 09-विद्युत देय,39- औषधि तथा रसायन, 42-अन्य व्यय, 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-519/ ई-1-दस-2020, दिनांक 14 जुलाई,2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव ।

संख्या - 24 /2020 / 790(1)/सत्रह-म-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त् (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या 24 /2020 / 790 /सत्रह-म-2020-6-9(127)/ 2017,दिनांक 20 जुलाई, 2020 का संलग्नक

(धनराशि रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद	प्रक्षेत्र का नाम	लक्ष्य (लाखमें)	02- मजदूरी	09- विद्युत देय	39- औषधि	42- अन्य व्यय	43- सामग्री सम्पूर्ति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क	**स्पान से फ्राई मत्स्य उत्पादन**								
1	आगरा	लडामदा	8.00	2000	0	2000	17680	30320	**52000**
2	मैनपुरी	चौराईपुर	2.50	625	0	625	5525	9475	**16250**
3	आजमगढ	अजमतगढ	8.00	2000	11680	2000	6000	30320	**52000**
4	मऊ	हाजीपुर	2.00	500	2420	500	2000	7580	**13000**
5	बलिया	निधारिया एवं अवांय	27.00	6750	43170	6750	16500	102330	**175500**
6	प्रयागराज	तेंदुआ एवं तरांव	45.00	11250	23000	11250	76450	170550	**292500**
7	फतेहपुर	टेसाही बुजुर्ग	15.00	3750	12000	3750	21150	56850	**97500**
8	प्रतापगढ	बेलहा	35.00	8750	22000	8750	55350	132650	**227500**
9	कानपुर नगर	चौबेपुर	0. 00	0	0	0	0	0	**0**
10	इटावा	करवाबुजुर्ग	7.00	1750	10970	1750	4500	26530	**45500**
11	देवरिया	खुखुन्दू	5.00	1250	0	1250	11050	18950	**32500**
12	कुशीनगर	गंगेलवा	5.00	1250	0	1250	11050	18950	**32500**
13	बस्ती	शंकरपुर	6.00	1500	0	1500	13260	22740	**39000**
14	संतकबीरनगर	तामां	15.00	3750	23650	3750	9500	56850	**97500**
15	सिद्धार्थ नगर	पंचमोहनी	18.00	4500	0	4500	39780	68220	**117000**
16	बॉदा	नहरी	5.00	1250	0	1250	11050	18950	**32500**
17	महोबा	किडारी एवं अटकोहा	9.00	2250	0	2250	19890	34110	**58500**
18	झांसी	गुरसराय	18.00	4500	0	4500	39780	68220	**117000**
19	जालौन	आटा	5.00	1250	7550	1250	3500	18950	**32500**
20	ललितपुर	माताटीला	30	7500	0	7500	66300	113700	**195000**
21	सुल्तानपुर	तौकलपुर	25.00	6250	0	6250	55250	94750	**162500**
22	बाराबंकी	बंकी	30.00	7500	0	7500	66300	113700	**195000**
23	गोण्डा	पुरेतिवारी	40.00	10000	13000	10000	75400	151600	**260000**
24	बरेली	लम्बाखेडा	6.00	1500	0	1500	13260	22740	**39000**

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	शाहजहॉपुर	बलेली	17.00	4250	13000	4250	24570	64430	**110500**
26	बिजनौर	ढेलाअहीर	5.00	1250	0	1250	11050	18950	**32500**
27	बागपत	सरूरपुर	8.00	2000	11000	2000	6680	30320	**52000**
28	लखनऊ	भैंसामऊ	10.00	2500	0	2500	22100	37900	**65000**
29	उन्नाव	नवाबगंज	30.00	7500	48000	7500	18300	113700	**195000**
30	सीतापुर	सुरैचा	17.00	4250	0	4250	37570	64430	**110500**
31	हरदोई	सण्डीला	20.00	5000	33200	5000	11000	75800	**130000**
32	लखीमपुर खीरी	घरथनियां	25.00	6250	40750	6250	14500	94750	**162500**
33	जौनपुर	गूजरताल	35.00	8750	56850	8750	20500	132650	**227500**
34	मिर्जापुर	बघोडा एवं समोग्रा	40.00	10000	31000	10000	57400	151600	**260000**
35	संतरविदास नगर	विक्रमपुर	50.00	12500	81500	12500	29000	189500	**325000**
36	सहारनपुर	रामपुरमनिहारन	6.00	1500	9260	1500	4000	22740	**39000**
	उप योग -		**629.50**	**157375**	**494000**	**157375**	**897195**	**2385805**	**4091750**
ख	**फ्राई से फिंगरलिंग मत्स्य उत्पादन**								
1	**झांसी**	**गुरूसराय**	1.50	3450	0	1275	40551	66324	111600
2	**सुल्तानपुर**	**तौकलपुर**	0.50	1550	00	425	13517	24108	39600
3	**गोण्डा**	**पुरेतिवारी**	1.00	2000	2500	850	24534	44216	74100
4	**शाहजहॉपुर**	**बलेली**	1.00	2900	2500	850	24534	48216	79000
5	**उन्नाव**	**नवाबगंज**	1.00	2700	2500	850	24534	48216	78800
6	**हरदोई**	**संडीला**	0.50	1500	00	425	13517	24108	39550
7	**संतरविदासनगर**	**विक्रमपुर**	1.00	2500	2500	850	24534	48216	78600
	उप योग		**6.50**	**16600**	**10000**	**5525**	**165721**	**303404**	**501250**
	कुल योग			**173975**	**504000**	**162900**	**1062916**	**2689209**	**4593000**

(रू0 पैतालीस लाख तिरानबे हजार मात्र)

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।